अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या अवमानना 37/26 (सीआईएस 37/26)
कु. उत्कल इन्दु नायक बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवमानना सं. 37 / 2026

कुमारी उत्कल इन्दु नायक बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 18.06.2026

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

अवमानना याचिका प्रस्तुतकर्ता द्वारा हस्तगत अवमानना याचिका इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 की पालना नहीं किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई है।

इस अधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2025 को रेफरेंस सं. 351 / 2020 शीर्षक कुमारी उत्कल इन्दु नायक बनाम जविप्रा व अन्य से संबंधित प्रकरण में निम्न प्रकार आदेश पारित किया गया था।

'' यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रश्नमल योजना पृथ्वीराज नगर योजना में स्थित है और पृथ्वीराज नगर योजना में स्थित भूखण्डों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जमय–समय पर विभिन्न दिशा–निर्देश, परिपन्न च आदेश जारी किये गये हैं, जिनका कोई उल्लेख जविप्ता द्वारा आपत्तियों के निस्तारण बाबत् पारित आदेश में नहीं किया गया है, जचकि राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेश, परिपत्र व दिशा–निर्देश जविना पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। साथ ही जैसा की उपर विवेचित किया गया है कि अपील संख्या 117 / 2014 में भूखण्ड संख्या 64 माथुर वैश्य नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त इस आधार पर किया गया, क्योंकि उसका भूखण्ड निर्मित था और इस प्राशय का शपथ पत्र भी सचिव, जविप्ना द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया था। हस्तगत प्रकरण में भी यह स्थिति प्रकट हुई है कि प्रश्नगत्त भूखण्ड निर्मितशुदा था, परन्तु इस बिन्दु को भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के निस्तारण में विचारगत्त नहीं किया गया, अतः उक्त आदेश बाबत् निस्तारण आपत्ति विधिनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पुनः अभ्यावेदन जविप्रा के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने और जविप्रा द्वारा उक्त रोशनी में समुचित निर्णय करने हेतु प्रकरण जविना को निम्न निर्देशों के साथ प्रतिष्रेषित किया जाना व्यायोचित प्रतीत होता है।

12. चूंकि प्रकरण को जविना को पुनः विचारित कर विधिनुसार आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हस्तगत मामले में गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

आदेश

1. अपीलार्थी आदेश दिनोंक से 15 दिन के भीतर अपना अभ्यावेदन सुसंगत दस्तावेजों सहित प्रश्नगत भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत् प्रत्यर्थी के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
2. अपीलार्थी द्वारा इस विहित समयावधि में अपना जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यह उपधारित किया जा सकेगा कि वे इस सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन व वस्तावेज प्रस्तुत नहीं चाहती हैं।
3. अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन व सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र (अवमानना) संख्या 37/26 (सीआईएस 37/26)

[illegible] बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर ~~जवपइनवंस~~ सक्षम प्राधिकारी जविप्रा द्वारा राज्य सरकार द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के सम्वन्ध में समय-समय पर जारी विभिन्न पश्मिनों, आदेशों व दिशा-निर्देशों को विचारगत करते हुए तथा इस अधिकरिण के प्रकरण संख्या 117/2014 में सचिव, जविप्रा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र (जिसका उल्लेख इस निर्णय के पैरा संख्या 11 में किया गया है) में उल्लेखिल तथ्यों को भी विचारगत करते हुए सकारण आदेश पारिलं करें तथा पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को देखें।

4. यदि जविप्रा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आदेश दिया जाता है तो अग्रिम कार्यवाही करने हेतु उसे न्यूनतम सात दिन का अवसर प्रदान किया जावे।

5. उक्त कार्यवाही के लम्बिल रहले सभी पक्ष वादग्रस्त भूखण्ड की भौतिक स्थिति यथावत् बनाये रखेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायाधिकरण में लखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित पति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिल की जाये।''

जविप्रा द्वारा जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

'' माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके सम्बंध में अभ्यावेदन की प्रति प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी /अधिवक्ता प्रार्थी को सूचित किया गया है साथ ही जविप्रा के सम्पूर्ण जोन कार्यालय में तलाश हेतु तलाश पत्र भी जारी किया गया है। जविप्रा द्वारा प्रश्नगत प्रकरणों का नियमानुसार परीक्षण कर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरणों के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाती है।''

सुना गया।

जविप्रा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन गुम हो जाना बताया है।

आदेश

1. प्रार्थी 15 दिवस की अवधि में पुनः अभ्यावेदन सचिव/आयुक्त/संबंधित उपायुक्त तीनों को प्रस्तुत करे।
2. जविप्रा इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना 6 माह में किया जाना सुनिश्चित करे।

पत्रावली का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या अवमानना 37/22 (सीआईएस 37/22)

कु. उर्मिला इन्दु गर्ग बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।	